(149)

न्यायालय : राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3999–I/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–9–2016 एवं 16–11–2016 पारित द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 428/अ–70/2014–15

जे.एस.आनन्द पिता स्व. नत्था सिंह आनन्द

निवासी– 243, नेपियर टाउन जबलपुर

(म.प्र.)

————आवेदक

विरूद्ध

1– हरपाल कौर पुत्री स्व. स्वर्ण सिंह
2– दलवीर सिंह पुत्र स्व. स्वर्ण सिंह
3– सरदार रणवीर सिंह पुत्री स्व. स्वर्ण सिंह
निवासीगण– गौरेयाधाट, जिला जबलपुर
(म.प्र.)

———अनावेदकगण

———

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अशोक गुप्ता)
(अनावेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री जे.पी. ......)

आदेश

(आज दिनांक 9-2-17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक 428/अ–70/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 22–9–2016 एवं 16–11–2016 से परिवेदित होकर, म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, न्यायालय तहसीलदार कैंट जबलपुर के द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–70/2012–13 में दिनांक 5–7–2014 को

धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश तहसीलदार जबलपुर द्वारा सीमांकन कराये जाने के पश्चात पारित किया गया। सीमांकन कार्यवाही के दौरान अनावेदिका हरपाल कौर मौके पर उपस्थित थी। तहसीलदार जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–7–2014 के विरूद्ध अनावेदकगण के द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 56/अ–70/2013–14 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 17–6–2015 को अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर द्वारा निरस्त कर दी गई। उपरोक्त दोनों आदेश पारित होने के पश्चात मौके पर राजस्व अधिकारियों के द्वारा जाकर आदेश का पालन किया गया तथा आवेदक को 20 कडी भूमि का कब्जा अनावेदकगणों से दिलाया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 17–6–2015 को अनावेदकगणों द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 428/अ–70/2014–15 मे कमिश्नर जबलपुर के समक्ष चुनौती दी गई। किंतु आवेदक को सुनवाई का अवसर न प्रदान करते हुये अनावेदकगण के पक्ष में कमिश्नर जबलपुर द्वारा कब्जा यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया गया। आवेदक के द्वारा शीघ्र सुनवाई के आवेदन के साथ अंतरिम आदेश हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें इस बात का उल्लेख है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23–11–2016 को जारी स्थगन आदेश के बावजूद भी आवेदक द्वारा लगाये गये पिलर को तोडकर वाउड्रीवाल का निर्माण प्रारंभ किया गया। अतः उसे तोडकर आवेदक को पूर्ववत कब्जा दिलाया जावें व कमिश्नर जबलपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावें। प्रस्तुत यह निष्कर्ष दिया गया कि चूंकि अनावेदकगण जबलपुर शहर से बाहर से इसलिये आवेदक द्वारा एक पक्षीय सीमांकन कराया गया इसलिये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश गलत है। जबकि सीमांकन कार्यवाही के समय अनावेदिका क्रमांक–1 स्वंय उपस्थित थी एवं उसने सीमांकन की समस्त प्रकियों में हस्ताक्षर किये हैं एवं साक्ष्य में उन हस्ताक्षरों को स्वीकार किया है।

3– अनावेदकगण ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी का विरोध करते हुये यह तथ्य प्रस्तुत किये कि दिनांक 18–9–1967 को स्व. स्वर्ण सिंह द्वारा मौजा गोरिया, प0ह0न0 10, नंबर बन्दोबस्त 604, खसरा 7/1, रकबा 0.23 एकड भूमि क्रय की गई थी व उसका नक्शा वर्ष 1981 में स्वीकृत कराया गया वर्ष 1982–83 में मकान व वाउंड्रीवाल का निर्माण किया गया तथा उक्त भूमि का डायवर्सन वर्ष 1986 में कराया गया।

जबकि आवेक द्वारा 10 वर्ष पूर्व यानिकी वर्ष 2003 में भूमि क्रय की गई तथा उक्त भूमि का सीमांकन कराया गया किंतु वर्ष 2003 से लेकर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण समय वाधित हैं। तहसीदार न्यायालय के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि अनावेदकगण 20 कडी भूमि पर अवैधानिक रूप से कब्जे में है तथा रूपयें 200/– की दण्डराशि अधिरोपित कर 07 दिवस के अंदर कब्जे का आदेश पारित किया तथा समय सीमा सीमांकन की दिनांक से मानी गई। तहसीलदार व एस.डी.ओ. द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि विरूद्ध है क्योंकि एक पक्षीय सीमांकन किया गया। कमिश्नर जबलपुर के द्वारा जो निष्कर्ष दिये गये है वह पूर्णतः विधि सम्मत है इसलिये आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सव्यय निरस्त की जावें।

4– मेरे द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–70/2012–14 के समस्त अभिलेखों का व तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–7–2014 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक का नाम मौजा गोरिया, प0ह0न0 23/27 में स्थित भूमि खसरा नंबर 7/4, रकवा 0.186 हैक्टर भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज है। आवेदक ने अपने पक्ष समर्थन में स्वंय के, रामनारायण तथा राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र सेन के कथन तहसीलदार न्यायालय के समक्ष अंकित कराये गये। आवेदक के द्वारा अपने कथन में यह स्वीकार किया गया कि विधिवत सीमांकन शुल्क जमा करने के पश्चात पटवारी के द्वारा सीमांकन किया गया तथा आवेदक की भूमि पर अनावेदकगणों का 20 कडी अनाधिकृत कब्जा पाया गया। आवेदक साक्षी रामनारायण ने अपने कथन में स्वीकार किया कि सीमांकन के समय वह मौजूद तथा और उसकी उपस्थिति में सीमांकन कराया गया। राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र सेन ने अपने साक्ष्य में यह बताया कि न्यायालीन आदेश दिनांक 11–6–2012 के परिपालन में आवेदक की भूमि का सीमांकन किया गया तथा आवेदक की भूमि पर 20 कडी कब्जा पाया गया। राजस्व निरीक्षक ने इस बात से इंकार किया कि अनावेदकगण सीमांकन के समय अनुपस्थिति थें। अनावेदिका हरपाल कौर ने अपने कथन में यह बताया कि उसके द्वारा कोई अवैध कब्जा नहीं किया गया है। आवेदक के द्वारा 2003 में भूमि क्रय की गई है तथा तीन दिशाओं में फेंसिग लगाई गई थी। आवेदक द्वारा बाउड्री नहीं बनाई गई तथा वह

सीमांकन की कार्यवाही के समय उपस्थित नहीं थी। आवेदक तथा अनावेदक की साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदक ने विधिवत अपनी भूमि का सीमांकन कराया जिसमें अनावेदक का 20 कडी भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया। अनावेदिका हरपाल कौर द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 13 में यह स्वीकार किया गया कि वर्ष 2012 में जब प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया गया था उस वक्त वह उपस्थित थी तथा प्रदर्श पी–4 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

5– उपरोक्त तथ्यों के आधार पर में इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि आवेदक द्वारा समय सीमा के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 की धारा 250 के अधीन प्रावधानों के तहत भूमि का सीमांकन कराया गया तथा विधिवत आदेश पारित किया गया। किंतु कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के द्वारा आवेदक को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा बिना तहसीलदार जबलपुर के अभिलेखों का अवलोकन किये आलोच्य आदेश दिनांक 22–9–2016 पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः न्यायालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 428/अ–70/2014–15 में पारित आदेश अपास्त किया जाता है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार केंट जबलपुर को निर्देशित किया जाता है कि अनावेदकगणों का प्रश्नाधीन भूमि में से कब्जा हटाकर आवेदक को सौंपे तथा पूर्ववत स्थित कायम रखें । उभयपक्ष सूचित हो। प्रकरण दाखिला रिकार्ड हों।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर